

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

दिनांक : 20.08.2022

क्रमांक / एफ / अका० / पाठ्यक्रम / 2022 / 902

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा मनोविज्ञान अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा .	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त
28(2)दो	1. प्रो० नरेन्द्र कुमार नगाईच (प्राध्यापक) शा० के०आर०जी० स्वशासी महा०, ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त
28(2)चार	1. डॉ० योगेन्द्र वर्मा (सहा० प्राध्यापक) शा० वी०आर०जी० कन्या महा०, मुरार ग्वा०।
28(2)पाँच	1. डॉ० शांतिदेव सिंसौदिया (समन्वयक) मनोविज्ञान, प्रा०भा०इति० संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला जी०वि०वि० ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपतिजी द्वारा प्रो० एन०के० नगाईच (प्राध्यापक) को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2022 से तीन वर्ष तक रहेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मनोविज्ञान अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव(गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जी०वि०वि०, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, /शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


उप-कुलसचिव(अकादमी)